राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/संकलन/CA./137/66 दिनांक :- 15/6/2020.

विज्ञप्ति

राजस्थान आवासन बोर्ड में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समस्त 47 इकाई कार्यालयों द्वारा संधारित वित्तीय लेखों के अंकेक्षण/कर-अंकेक्षण, अंतिम खाते तैयार करवाने, वित्तीय लेखों (अंतिम लेखे) का सत्यापन-प्रमाणन करने, नोट्स/कमेंट्स ऑन एकाउंट्स तैयार करना, आयकर विवरणी तैयार कर, विभाग में प्रस्तुतीकरण संबंधी कार्य करने हेतु इच्छुक सनदी लेखाकार फर्मों से, जो संलग्न निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करते हों, से मापदण्ड संबधी तकनीकी प्रस्ताव एवं निर्धारित प्रारूप में वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 22.06.2020 को मध्यान्ह पश्चात 3.00 बजे तक अलग-अलग दो सीलबन्द लिफाफो में आमंत्रित किए जाते हैं। दोनों लिफाफे **संकलन प्रकोष्ठ (मुख्यालय) तृतीय तल, कमरा नं. 417, ज्योति नगर, जयपुर** में जमा कराने होंगे। डाक अथवा अन्य माध्यम के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगे। प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित प्रस्तावकों के समक्ष खोला जायेगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें।

वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 26.06.2020 को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे केवल उन सी.ए. फर्मो के खोले जावेगें, जो तकनीकी मानदण्डों पर सफल रहेगी। वर्ष 2019-20 के लिए संतोषप्रद कार्य करने पर इस कार्य को आगे एक वर्ष के लिए समान दर एवं शर्तो पर बढाया जा सकता है।

उक्त संबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय समय में टेलीफोन नं. 0141-2740150/2740488 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. CAG की वेबसाईट पर जयपुर के लिए Empanelled सनदी लेखाकारों को उनके उपलब्ध "ई-मेल" पर प्रेषित।
3. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि "विज्ञप्ति एवं शर्तो" को मण्डल की वेबसाईट पर यथास्थान आज ही अपलोड करें।
4. आवासीय अभियन्ता-ई0प्रोक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि "विज्ञप्ति एवं शर्तो" को SPPP के पोर्टल पर आज ही अपलोड करें।

वित्तीय सलाहकार

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

फर्म हेतु निर्धारित योग्यता संबंधी मापदण्ड :-

1. सी.ए.जी. में एमपैनलमेन्ट/रजिस्टर्ड होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।
2. फर्म जी.एस.टी. में पंजीकृत हो, का साक्ष्य प्रस्तुत करें।
3. संस्था/फर्म कम से कम 5 वर्ष पुरानी पंजीकृत एवं सुस्थापित होने का साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत करें।
4. फर्म में कम से कम पांच सी.ए. पार्टनर हों, जिनमें से कम से कम तीन सी.ए. जयपुर मुख्यालय पर कार्यरत होने का साक्ष्य एवं पर्याप्त संख्या में Skilled Articles होने का साक्ष्य प्रस्तुत करें।
5. फर्म को आयकर सलाहकार/रिटनेर के रूप में कम से कम दो राजकीय उपक्रमों/सरकारी बैंकों या 20 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले निजी उपक्रम का कार्यानुभव होने का साक्ष्य प्रस्तुत करें।
6. (i) अंकेक्षण का कार्य 30.09.2020 तक पूर्ण किया जाना है।
   (ii) राजस्थान में स्थित बोर्ड के समस्त 47 इकाई कार्यालयों से आवश्यक दस्तावेज मंगाकर मण्डल (मुख्यालय) ज्योति नगर, जयपुर पर अंकेक्षण करना है। उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा कोई TA/DA आदि देय नहीं होगा।
   (iii) स्वीकृत पारिश्रमिक समस्त कार्य सन्तुष्टीपूर्ण सम्पन्न कर, निर्धारित समयावधि (अर्थात 30.09.2020) या बढाई गई अंतिम तिथि तक आयकर विवरणी आयकर विभाग में दाखिल कर देने के उपरान्त देय होगा।

– वित्तीय प्रस्ताव हेतु प्रपत्र –

कार्य का नाम : राजस्थान आवासन मण्डल के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखों का अंकेक्षण/कर-अंकेक्षण, वित्तीय अंतिम लेखों का सत्यापन/ प्रमाणन, वित्तीय लेखों पर सी.ए. के नोट्स एवं कमेंट्स करना, आयकर विवरणी (फार्म 3CB, 3CD एवं 10B) तैयार करना एवं (आयकर विभाग द्वारा वांछित समस्त प्रपत्रों सहित) निर्धारित तिथि से पूर्व दाखिल करने का कार्य।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	वित्तीय प्रस्ताव
1.	1. मण्डल के समस्त 47 इकाई कार्यालयों के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखों का अंकेक्षण, कर-अंकेक्षण करना। 2. बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम खाते विविध आयकर प्रावधानों का अनुसरण करते हुए तैयार करवाना। 3. वित्तीय अंतिम लेखों का सत्यापन/प्रमाणन करना एवं नोट्स/कमेंट्स ऑन एकाउण्ट्स बनाना। 4. वित्तीय वर्ष 2019-20 की आयकर विवरणिका प्रारूप सं. 3CB, 3CD एवं 10B में तैयार कर निर्धारित तिथि तक आयकर विभाग में प्रस्तुत करना।	Consolidated remuneration Rs. --------- plus GST extra

अधिकृत सी.ए. के हस्ताक्षर एवं मोहर